



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक: ग.वि.वि./प्रशासन/2025/772

दिनांक : 16 /12/2025

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के नियमित कार्मिक की सेवा में रहने के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप No.A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 16/17 July 2018 में वर्णित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन संतान शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी उस समय तक देय होगी, जब तक कार्मिक वास्तव में उसे प्राप्त करता, बशर्ते कि मृतक कार्मिक की पत्नी/पति, केन्द्र/राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, सरकारी क्षेत्रक उपक्रम, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित अर्द्ध-शासकीय संगठन अर्थात् नगरपालिका, पत्तन न्यास प्राधिकारण या किसी अन्य संगठन में कार्यरत नहीं हो।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त परिसर निदेशक।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/मुख्य छात्र सलाहकार/मुख्य नियन्ता/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/परीक्षा नियंत्रक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
4. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अधिशाली अभियन्ता/जनसम्पर्क अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी/समस्त अनुभाग अधिकारी।
5. प्रभारी, सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सहायक कुलसचिव कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. निजी सचिव, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
8. गार्ड फाइल।


कुलसचिव